2642
05.09.14

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

श्री कृष्ण देव सिंह, तत्कालीन जिला नियोजन पदाधिकारी, बेतिया सम्प्रति सेवा निवृत प्रभारी उप निदेशक (नियोजन), दरभंगा के विरूद्ध स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त पत्रांक– 649 (9) दिनांक– 24.7.2009 के द्वारा श्री सिंह, तत्कालीन जिला नियोजन पदाधिकारी, बेतिया के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरों के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर प्रपत्र "क" में आरोप गठित कर साक्ष्य (जॉच प्रतिवेदन) सहित श्रम संसाधन विभाग को प्रेषित करते हुए अनुरोध किया गया कि इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही कर वृहद दण्ड देते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी संसूचित किया जाये ।

(2) स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वर्ष 1995–96 में बेतिया में कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत श्री सिंह के द्वारा बरती गई कतिपय अनियमितताओं के फलस्वरूप निगरानी अन्वेषण ब्यूरों से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर प्रपत्र "क" गठित किया गया ।

(3) श्री सिंह दिनांक– 31.7.2009 को सेवा निवृत्त हो गए ।

(4) इस सन्दर्भ में कालबाधित के मुद्दे पर सामान्य प्रशासन विभाग का मंतव्य प्राप्त किया गया । सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा यह कहा गया कि "आज की तिथि से प्रथम जानकारी की अवधि 4 (चार) वर्षो के अन्दर की है । कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या– 3448 दिनांक– 2.12.2006 की कंडिका– 2 (VI) के आलोक में कार्रवाई हेतु प्रशासी विभाग स्वयं सक्षम होते है ।

(5) तत्पश्चात श्री सिंह के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम– 43 (बी.) के अन्तर्गत विभागीय संकल्प संख्या– 1820 दिनांक– 9.6.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई एवं संकल्प संख्या– 2690 दिनांक– 19.8.2010 तथा संकल्प संख्या– 1609 दिनांक– 24.5.2011 के द्वारा इसे संशोधित किया गया ।

(6) जॉच पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आरोपी पदाधिकारी श्री के0 डी0 सिंह के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरों द्वारा उनके विरूद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित होते हैं ।

(7) जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री सिंह से द्वितीय कारण–पृच्छा की मॉग की गई एवं उनसे प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा की विस्तृत समीक्षा की गई ।

(8) श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा की कंडिका– 4 में बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक– 1893 दिनांक– 14.6.2011 की कंडिका– 16 को उल्लेखित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के द्वारा सी0 डब्लू0 जे0 सी0 संख्या– 12943/2009 (उर्मिला शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक– 10.5.2010 को पारित आदेश के तहत व्याख्या की गई है कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम– 43 (बी.) के अन्तर्गत चार वर्षो की गणना घटना की तिथि से होगी न कि घटना की जानकारी की तिथि से । अतः कदाचार का आरोप जिस घटना से संबंधित है, वह अगर कार्यवाही संस्थित करने की तिथि से चार वर्ष से पहले का है, तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही नहीं चल सकती है, क्योंकि ऐसा आरोप कालबाधित की श्रेणी में आयेगा ।

कृ0पृ0उ0

(9) इस संबंध में पुनः सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया, जिसमें कहा गया कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक– 1893 दिनांक– 14.6.2011 की कंडिका– 16 के आलोक में कार्रवाई हेतु प्रशासी विभाग स्वयं सक्षम है ।

(10) तदोपरान्त श्री सिंह के विरूद्ध दायर मुकदमा की अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु निगरानी विभाग से अनुरोध किया गया । निगरानी विभाग द्वारा सूचित किया गया कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा श्री कृष्ण देव सिंह के विरूद्ध कोई काण्ड दर्ज नहीं है । मामला जिला कुष्ठ निवारण कार्यालय, बेतिया में अनियमित दवा क्रय, सरकारी राशि का गबन एवं अनियमित नियुक्ति से संबंधित था, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से जॉच हेतु सी0 बी0 आई0 को सौंपा गया था । निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इस संबंध में स्वाथ्य विभाग से मॉगी गई जानकारी प्राप्त नहीं है ।

(11) इस संबंध में विभागीय पत्रांक– 3347 दिनांक– 10.9.2013 द्वारा अद्यतन स्थिति की जानकारी की मॉग स्वास्थ्य विभाग से की गई । वॉछित प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में उन्हें विभागीय पत्र सं0– 3868 दिनांक– 9.10.2013 तत्कालीन प्रधान सचिव द्वारा प्रेषित पत्रांक– 4241 दिनांक– 19.11.2013 स्मार पत्र सं0– 4751 दिनांक– 23.12.2013 स्मार प. सं0– 984 दिनांक– 01.04.2014 एवं अर्द्ध सरकारी पत्र सं0– 1634 दिनांक– 18.6.2014 के द्वारा स्मारित भी किया गया । परन्तु लगातार पत्राचार के बाद भी स्वास्थ्य विभाग से प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुए ।

(12) पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों (सी0 बी0 आई0), पटना कार्यालय से भी कृत कार्रवाई से अवगत कराने का अनुरोध विभागीय पत्र सं0– 985 दिनांक– 01.04.2014 के द्वारा किया गया एवं वॉछित सूचना अप्राप्त रहने की स्थिति में पत्र सं0– 1294 दिनांक– 13.5.2014 एवं अर्द्ध सरकारी पत्र सं0–1635 दिनांक– 18.6.2014 के द्वारा स्मारित भी किया गया । सी0 बी0 आई0 का पटना कार्यालय द्वारा पत्रांक– 1967 दिनांक– 14.7.2014 द्वारा सूचित किया गया कि श्री सिंह के विरूद्ध कोई मामला उनके कार्यालय में दर्ज नहीं है । साथ ही उन्होंने सी0 बी0 आई0, पटना जोन के अन्य शाखाओं से भी जानकारी प्राप्त कर लेने का उल्लेख किया ।

सरकार द्वारा सम्यक समीक्षोंपरान्त श्री कृष्ण देव सिंह, तत्कालीन जिला नियोजन पदाधिकारी, बेतिया सम्प्रति सेवा निवृत प्रभारी उप निदेशक (नियोजन), दरभंगा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक– 1893 दिनांक– 14.6.2011 की कंडिका– 16 के आलोक में काल बाधित मानते हुए समाप्त किया जाता है ।

प्रस्ताव में माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

कृ0पृ0उ0

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री कृष्ण देव सिंह, तत्कालीन जिला नियोजन पदाधिकारी, बेतिया सम्प्रति सेवा निवृत प्रभारी उप निदेशक (नियोजन) दरभंगा, वर्त्तमान पता— न्यू मिथिला कॉलनी, वार्ड नं0— 33, गृह संख्या— 61, गंगा नर्सरी से पश्चिम, पो0— बाटागंज, थाना— दानापुर, जिला— पटना को निबंधित डाक से उपलब्ध करायें ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

5.9.14

(देव नन्दन यादव)
सरकार के अपर सचिव

5/9/14

ज्ञापांक— 6/श्रम वि0 आ0 – 7014/2009 श्र0सं0— 2642 पटना, दिनांक— 05.09.14

प्रतिलिपि— प्रभारी पदाधिकारी ई. गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सी0 डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायें।

5.9.14
सरकार के अपर सचिव
5/9/14

ज्ञापांक— 6/श्रम वि0 आ0 – 7014/2009 श्र0सं0— 2642 पटना, दिनांक— 05.09.14

प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

5.9.14
सरकार के अपर सचिव 5/9/14

ज्ञापांक— 6/श्रम वि0 आ0 – 7014/2009 श्र0सं0— 2642 पटना, दिनांक— 05.09.14

निबंधित

प्रतिलिपि— जिला पदाधिकारी, बेतिया/दरभंगा/ कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

5.9.14
सरकार के अपर सचिव 5/9/14

ज्ञापांक— 6/श्रम वि0 आ0 – 7014/2009 श्र0सं0— 2642 पटना, दिनांक— 05.09.14

निबंधित

प्रतिलिपि— श्री कृष्ण देव सिंह, तत्कालीन जिला नियोजन पदाधिकारी, बेतिया सम्प्रति सेवा निवृत प्रभारी उप निदेशक (नियोजन), दरभंगा वर्त्तमान पता— न्यू मिथिला कॉलनी, वार्ड नं0— 33 गृह संख्या— 61 गंगा नर्सरी से पश्चिम, पो0— बाटागंज, थाना— दानापुर, जिला— पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

5.9.14
सरकार के अपर सचिव
कृ0पृ0उ0
8/9/14

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0 – 7014/2009 श्र0सं0– 2642 पटना, दिनांक–05.09.14

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक– 649 (9) दिनांक– 24.7.2009 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

5.9.14

सरकार के अपर सचिव

5/9/14

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0 – 7014/2009 श्र0सं0– 2642 पटना, दिनांक–05.09.14

प्रतिलिपि– निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/ अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ विशेष कार्य पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा– 1 एवं गोपनीय चारित्री, श्रम संसाधन विभाग/उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लोक सूचना पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी (सरकार पक्ष), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 6 श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को 05 (पाँच) अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

5.9.14

सरकार के अपर सचिव

5/9/14

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0 – 7014/2009 श्र0सं0– 2642 पटना, दिनांक–.05.09.14

प्रतिलिपि– आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

5.9.14

सरकार के अपर सचिव

5/9/14

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0 – 7014/2009 श्र0सं0–2642 पटना, दिनांक– 05.09.14

प्रतिलिपि– माननीय विभागीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

5.9.14

सरकार के अपर सचिव

5/9/14